

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

आदेश

विषय :- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-4(vi) के अधीन ब्याज अनुदान की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन।

राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011(समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-4(vi) के अधीन अनुमान्य ब्याज अनुदान पर विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| (1) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना-                           | अध्यक्ष      |
| (2) निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना-                    | सदस्य        |
| (3) उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना-                   | सदस्य        |
| (4) बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि-              | सदस्य        |
| (5) बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि- | सदस्य        |
| (6) संयुक्त उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन)-           | सदस्य        |
| (7) उप उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन)-                | सदस्य संयोजक |
| (8) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र-              | सदस्य        |
| (9) विशेष आमंत्रित सदस्य(जहाँ आवश्यक हो)                  | सदस्य        |

यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011(समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या-982 दिनांक-11.06.15 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेगी।

2. यह समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित करेगी।

*Jha 11/06/2015*

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 985 /पटना, दिनांक : 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-985/पटना, दिनांक : 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-985/पटना, दिनांक : 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 985 /पटना, दिनांक- 11.06.15

सं0सं0- 4 तक0/औ0प्र0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।